

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2019—भाद्र 1, शक 1941

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2019

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, प्रवासी भारतीय विभाग एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 2 से 16 अगस्त 2019 तक, पन्द्रह दिन तक का एक्स इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, प्रवासी भारतीय विभाग एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव।

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2019

क्र. एफ 1(बी) 60-18-बी-4-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 द्वारा Shri T. S. Thongkhosei Baite, AC, 227 Bn, CRPF की सहायक सेनानी, हॉकफोर्स, मध्यप्रदेश के पद पर 02 वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लिए जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

(2) संचालनालय, सीआरपीएफ, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक U.O. No. D.I.16/2018-Pres. D.A. 8, Dated 24th April 2019 द्वारा लेख किया गया है कि Shri T. S. Thongkhosei Baite, AC, 227 Bn, CRPF द्वारा हॉकफोर्स, मध्यप्रदेश में सहायक सेनानी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आने से असहमति व्यक्त की गई है। अतः, राज्य शासन द्वारा Shri T. S. Thongkhosei Baite, AC, 227 Bn, CRPF की सेवाएं हॉकफोर्स, मध्यप्रदेश में सहायक सेनानी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने संबंधी इस विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 को निरस्त किया जाता है।

क्र. एफ 1(ए) 185-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (एएनओ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 29 जुलाई से 3 अगस्त 2019 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 जुलाई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री जी. पी. सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री संजीव शमी, अति. पुलिस महानिदेशक, (ए.टी.एस.) पुमु, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अति. पुलिस महानिदेशक, (एएनओ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जी. पी. सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल से श्री जी. पी. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2019

क्र. एफ 1-59-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स), विंग इन्दौर को दिनांक 13 से 14 अगस्त 2019 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10 से 12 व 15 अगस्त 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में सपरिवार सिंगापुर की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मनोहर मण्डलोई, रापुसे, पुलिस अधीक्षक नारकोटिक्स, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया गया।

(3) अवकाश से लौटने श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स), विंग इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जी. जी. पाण्डेय, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2019

फा. क्र. 4396-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अधीन:-

1. श्री संजय कुमार गुप्ता (Sr.) II ADJ, नरसिंहपुर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश.

2. श्री संजय कुमार जैन, (Jr. 1) II ADJ नीमच को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच मध्यप्रदेश.
3. श्री दिनेश कुमार खटीक, II ADJ, दतिया को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया, मध्यप्रदेश.
4. श्री अशरफ अली, III ADJ, उमरिया को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया, मध्यप्रदेश.
5. श्री अमोद आर्य, II ADJ, पन्ना को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना, मध्यप्रदेश.
6. श्री भूभास्कर यादव, II ADJ, अनूपपुर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
7. श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, I ADJ, अशोकनगर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर, मध्यप्रदेश.
8. श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव, III ADJ, टीकमगढ़ को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश.
9. श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, IV ADJ, शाजापुर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर, मध्यप्रदेश.
10. श्री नरेन्द्र पटेल, II ADJ, बुरहानपुर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.
11. श्री रवि जरोला, I ADJ, अलीराजपुर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर, मध्यप्रदेश.
12. श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, I ADJ, दमोह को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
13. कुमारी प्रतिभा सतवाने, II ADJ, बैतूल को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिंडोरी, मध्यप्रदेश.
14. श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, XVII ADJ, इन्दौर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी, मध्यप्रदेश.
15. श्री चन्द्र किशोर बरपेटे, I ADJ, उज्जैन को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी, मध्यप्रदेश.
16. श्री अजय सिंह, II ADJ, मुरैना को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर, मध्यप्रदेश.

को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

फा. क्र. 4022-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब

न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री रितुराज बसंत कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2019

क्र. एफ 12-78-2015-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 (क) 1 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा डब्ल्यू. पी. नंबर-4090/2015 में पारित आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2015 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. क्रमांक 007154/2018 में पारित आदेश दिनांक 12 मार्च 2018 के परिपालन में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) 1 (क) के अन्तर्गत इन्दौर विकास योजना 2021 में ग्राम निहालपुर मुन्डी के खसरा क्रमांक 950/1, 953/1, 954 से 958, 945/2, 949/2, 945/1, 949/3, 945/3, 949/1, 948, 959/2, 962/1, 962/2, 959/3, 959/1, 951/1/2, 952/1, 953/3, 947/1, 960, 961, 998, 999, 1000 कुल रकबा 19.836 हेक्टेयर को इन्दौर विकास योजना 2021 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक से आवासीय उपांतरित किया जाता है.

उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 31 जुलाई 2019

क्र. 741-11-भू.प्र.लो.से.गा.-2019.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-7-2019-सात-शा. 7, भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019 द्वारा भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 256 के भाग-3 के अधीन बने राजस्व अभिलेख नियम, 1959 में संशोधन अनुसार प्रतिलिपि प्रदाय किये जाने हेतु आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश को प्राधिकृत सेवा प्रदाता की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है।

2. कंडिका 1 अनुसार प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में प्रदेश के समस्त जिलों में कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा अनुबंधित सेवा प्रदाता M/s Bhopal E-governance Ltd. भोपाल द्वारा संचालित आई. टी. सेन्टर एवं लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्र को प्राधिकृत सेवा प्रदाता नियुक्त किया जाता है।

3. कम्प्यूटरीकृत अभिलेख की नकल हेतु निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क में से विभिन्न हितधारकों के मध्य राशि का विभाजन मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-2/2014/सात(एक), भोपाल दिनांक 31 जुलाई 2019 अनुसार किया जायेगा। प्राधिकृत सेवा प्रदाता M/s Bhopal E-governance Ltd. Bhopal के द्वारा सेवा प्रदाय के प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की अंश राशि को राज्य की संचित निधि में मुख्य शीर्ष 0029 उप लघु शीर्ष 00 लघु शीर्ष 800 स्कीम कोड 0024 में मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबन्धन समिति द्वारा जमा किया जायेगा। लोक सेवा केन्द्र के द्वारा सेवा प्रदाय के प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की अंश राशि को राज्य की संचित निधि में मुख्य शीर्ष 0029 उप लघु शीर्ष 00 लघु शीर्ष 800 स्कीम कोड 0024 में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।

4. कम्प्यूटरीकृत अभिलेख प्रतिलिपियों (एक साला/पांच साला खसरा या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट, बाजिव-उल-अर्ज, निस्तर पत्रक व ए-4 आकार के नक्शे) की प्रतियों के शुल्क के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश/निर्देश इस आदेश द्वारा अधिक्रमित किये जाते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 2 जुलाई 2019

( अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003  
( क्र. 30 सन् 2013 )

प्र. क्र. 6438-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम करणपुरा तहसील कुशी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची (1)

ग्राम—करणपुरा

तहसील—कुक्षी

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना.	3.341	1.973	5.314
योग . .		3.341	1.973	5.314

## अनुसूची (2)

छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम करणपुरा तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम—करणपुरा

तहसील—कुक्षी

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सेकडिया पिता रामसिंह जाति भील निवासी ग्राम करणपुरा.	135/5	0.836	0.000	0.836	0.024	0.000	0.024
2	जमना पिता वेलसिंह जाति भील निवासी ग्राम नयापुरा (भीलखेडी).	135/1/मिन-2	3.952	0.000	3.952	1.578	0.000	1.578
		135/4	0.146	0.000	0.146	0.146	0.000	0.146
3	बाण्डू पिता अनसिंह जाति भील निवासी ग्राम करणपुरा.	135/3	0.418	0.000	0.418	0.395	0.000	0.395
4	जामसिंह पिता शंकर जाति भील निवासी ग्राम करणपुरा.	180	1.809	0.000	1.809	1.132	0.000	1.132
		181	0.261	0.000	0.261	0.066	0.000	0.066
5	सुकु पिता शंकर जाति भीलाला निवासी ग्राम करणपुरा.	183	0.000	1.630	1.630	0.000	0.512	0.512
		182	0.000	0.199	0.199	0.000	0.120	0.120
6	वेस्ता, कुंवरसिंह, भुरसिंह, जोगडिया पिता थाड जाति भीलाला निवासी ग्राम करणपुरा.	184	0.000	0.815	0.815	0.000	0.271	0.271
		188/1	0.000	1.599	1.599	0.000	0.312	0.312
		189	0.000	0.219	0.219	0.000	0.003	0.003
		190	0.000	0.209	0.209	0.000	0.011	0.011
		191	0.000	0.952	0.952	0.000	0.203	0.203

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	दुलसिंह, केसरबाई पिता अनसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम करणपुरा.	188/2	0.000	0.313	0.313	0.000	0.175	0.175
8	दलसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम बाकी.	187	0.000	0.763	0.763	0.000	0.116	0.116
9	भूरसिंह पिता अनसिंह जाति भील निवासी ग्राम करणपुरा.	188/3	0.000	0.314	0.314	0.000	0.250	0.250
योग . .			7.422	7.013	14.435	3.341	1.973	5.314

प्र. क्र. 6440-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डोबनी तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है.

### अनुसूची (1)

ग्राम—डोबनी

तहसील—कुक्षी

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु.	8.922	1.123	10.045
योग . .		8.922	1.123	10.045

### अनुसूची (2)

छोटाउदयपुरा-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डोबनी तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम—डोबनी

तहसील—कुक्षी

क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मोटला, पिता रायसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम डोबनी.	264/1 271/1	0.195 2.121	0.000 0.000	0.195 2.121	0.005 2.057	0.000 0.000	0.005 2.057
2	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के इंदला तालाब नहर.	264/2 263/4/2	0.000 0.000	0.405 0.120	0.405 0.120	0.000 0.000	0.010 0.120	0.010 0.120

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	अमरसिंह, वालीबाई पिता बुधासिंह जाति भील निवासी ग्राम डोबनी	266	0.596	0.000	0.596	0.194	0.000	0.194
4	इन्दरसिंह पिता बुदिया, मलकीबाई पति स्व. बुदिया जाति भील निवासी ग्राम डोबनी	263/4/1	0.141	0.000	0.141	0.141	0.000	0.141
7	गुलाब, नाहारसिंह, मोहरसिंह, जहरसिंह, राजु, मेसरीबाई, केसरीबाई, बिरजबाई, हरबाई, नरबाई पिता कुवरसिंह, रेला पिता जामसिंह, पागु पिता टेटू, व हतरसिंह, बनसिंह, धनसिंह पिता थाउ व गजरीबाई पति स्व. थाउ, जाति भील निवासी ग्राम डोबनी	271/2	0.618	0.000	0.618	0.409	0.000	0.409
		271/7	1.420	0.000	1.420	0.572	0.000	0.572
		277/1/1	0.000	0.987	0.987	0.000	0.981	0.981
		277/2	0.418	0.000	0.418	0.418	0.000	0.418
8	रमेश पिता अनसिंह जाति भील निवासी ग्राम डोबनी	271/4	0.314	0.000	0.314	0.226	0.000	0.226
9	सुभान पिता कनकिया जाति भील निवासी ग्राम डोबनी	271/3	0.523	0.000	0.523	0.004	0.000	0.004
10	समरिया पिता अनसिंह जाति भील निवासी ग्राम डोबनी	269/6/2	0.105	0.000	0.105	0.096	0.000	0.096
		271/5	0.209	0.000	0.209	0.209	0.000	0.209
11	सोभान, हिरू पिता कनस्या जाति भील निवासी ग्राम डोबनी	269/6/1	0.491	0.000	0.491	0.107	0.000	0.107
		271/6	0.052	0.000	0.052	0.052	0.000	0.052
12	मेसर पिता पिडिया, विरसिंह, सुन्दरबाई पिता नाध्या, जिलु पिता धारजी, जाति भील निवासी ग्राम डोबनी	276/1/1	0.390	0.000	0.390	0.390	0.000	0.390
13	इन्दरसिंह दत्तक पुत्र दमडिया जाति भील निवासी ग्राम डोबनी	276/2/1	0.378	0.012	0.390	0.378	0.012	0.390
14	जामसिंह पिता नानसिंह, जाति भीलाला निवासी ग्राम डोबनी	310	1.453	0.000	1.453	0.126	0.000	0.126
15	मोटला, नरसिंह, हरू, रुगनाथ, रुमाल पिता रायसिंह, जाति भीलाला निवासी ग्राम डोबनी	312	1.745	0.000	1.745	1.583	0.000	1.583
16	अनसिंह पिता हरसिंह, जाति भीलाला निवासी ग्राम डोबनी	317/1	1.359	0.000	1.359	0.043	0.000	0.043
		319	0.585	0.000	0.585	0.570	0.000	0.570

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	हारू पिता रायसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम डोबनी	317/5/1	1.809	0.000	1.809	0.152	0.000	0.152
18	भुवानसिंह, जानसिंह, भंगडा, रेमसिंह पिता उंकार, जाति भीलाला निवासी ग्राम डोबनी	317/6/1	1.190	0.000	1.190	1.190	0.000	1.190
	योग :-		16.112	1.524	17.636	8.922	1.123	10.045

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीकान्त बनोट, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
अशोकनगर, दिनांक 4 जुलाई 2019

पत्र क्र. 375-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना निर्माण तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर के ग्राम सकवारा की प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची क्रमांक 02 में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची क्रमांक (2) की भूमि की अनुसूची क्रमांक (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है.

#### अनुसूची क्रमांक (1)

चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना निर्माण में प्रभावित भूमि का पत्रक

ग्राम-सकवारा, तहसील-चेदरी, जिला-अशोकनगर म. प्र.

विवरण (1)	कुल रकबा हेक्टेयर में (2)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3)
चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कार्य से प्रभावित होने से.	47.545	4.960
कुल योग . .	47.545	4.960

#### अनुसूची क्रमांक 02 ग्राम-सकवारा

क्रमांक (1)	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान (2)	खसरा नंबर (3)	भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में) (4)	अर्जित किये जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) (5)	रिमार्क (6)
1	मोहन हरीराम चैन पुत्र हज्जू हिस्सा 1/2 उमराव पुत्र हरपा हिस्सा 1/4 जसरथ पुत्र हरपा हिस्सा 1/4 जाति ढीमर पता-निवासी ग्राम-भूमिस्वामी.	486	1.651	0.187	
योग . .		1	1.651	0.187	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	भीकमसिंह पुत्र घासी हिस्सा 0.209 हेक्टेयर मानसिंह पुत्र गणेशा हिस्सा 0.178 हेक्टेयर दसोदा पुत्री गणेशा हिस्सा 1/4 सुखवती द्राबाई पुत्री गणेशा हिस्सा 0.355 हेक्टेयर निवासी ग्राम काशीराम पुत्र चाड हिस्सा 0.418 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	487	1.547	0.103	
		योग . . 1	1.547	0.103	
3	पार्वती पुत्री सरुआ हिस्सा 1/2 जानकी पुत्र सरुआ 0.820 हे. पप्पू पुत्र दमरू हिस्सा 0.418 हे. सेहरिया पता निवासी ग्राम-भूमिस्वामी.	488	2.477	0.834	
		योग . . 1	2.477	0.834	
4	मनका पुत्र पचुआ सरजूकल्लू पुत्री पचुआ जाति सेहरिया पता ग्राम-भूमिस्वामी.	495	1.076	0.344	
		योग . . 1	1.076	0.344	
5	मानसीग पुत्र गणेशा सुखवती दसोदा दुरोबाई पुत्रीयां गणेशा जाति रावत हिस्सा 1/2 भूमिस्वामी भीकम सुजान पुत्रगण धासी जाति रावत पता ग्राम हिस्सा 1/2 समान भाग भूमिस्वामी.	494	0.742	0.552	
		योग . . 1	0.742	0.552	
6	पप्पू पुत्र दमरू धनुष पुत्र दमरूआ पता निवासी ग्राम-भूमिस्वामी.	496	1.724	0.199	
		योग . . 1	1.724	0.199	
7	पहलवान पुत्र धन्ना जाति आदिवासी पता ग्राम भूमिस्वामी.	505 मि.	25.246	0.761	
		योग . . 1	25.246	0.761	
8	पहलवान पुत्र धन्ना जाति आदिवासी पता ग्राम भूमिस्वामी.	505/10	1.000	0.458	
		योग . . 1	1.000	0.458	
9	रामचरण पुत्र भूरे जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	505/12	1.000	0.242	
		योग . . 1	1.000	0.242	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	धनश्याम, हरवानसिंह, थानसिंहदर्शनसिंह पुत्रगण रघुराजसिंह जाति लोधी पता निवासी कुंअरपुर समानभाग भूमिस्वामी.	505/22	1.123	0.261	
		योग . . 1	1.123	0.261	
11	घनश्याम पुत्र रघुराजसिंह जाति लोधी पता निवासी कुंअरपुर भूमिस्वामी.	509	1.222	0.359	
		योग . . 1	1.222	0.359	
12	हजारी पुत्र बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	511/1	1.097	0.182	
		योग . . 1	1.097	0.182	
13	ओमकार महाराजसिंह पुत्र जसरथ आभा पुत्री जसरथ हिस्सा 2.730 हे. राजाबेटी पत्नी परताप हिस्सा 0.209 हे. जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी. जीवन पुत्र राजाराम लीलाबाई पुत्रियां राजाराम दुलारी वेवा राजाराम हिस्सा 1.480 हे. पप्पू पुत्र परताप प्रभा सकुन पुत्रियों परताप राजाबेटी वेवा परताप हिस्सा 1.480 हे. जहार भेरो कपाल पुत्रगण चंदनसिंह हिस्सा 0.383 हे. जाति लोधी पता निवासी ग्राम कुंअरपुर भूमिस्वामी.	511/2/1	2.939	0.204	
		511/2/2	3.311	0.205	
		योग . . 2	6.250	0.409	
14	रामसिंह पुत्र जबरा केशर पुत्री जबरा हिस्सा 1/4 चकेश कुमार नीलेश कुमार अंतिम कुमार पुत्र हजारीलाल जाति जैन हिस्सा 1/4 करनसिंह इन्द्रपालसिंह पुत्र भैयालाल हिस्सा 1/4 ग्राम निवासी भूमिस्वामी.	512	1.390	0.069	
		योग . . 1	1.390	0.069	
		महायोग . . 15	47.545	4.960	

मंजू शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 3 अगस्त 2019

प्र. क्र. 0013-अ-82-16-17-ठानीमाल-9024—चूंकि, समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल (म. प्र.).	बैतूल	ठानीमाल	0.049	रेलवे तीसरी लाईन

## अनुसूची 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	परदेशी, रमेश, रामुस व भिक्की, मुन्नी, रमोली व. भिक्की.	57/2	2.266	0.049
योग . .			2.266	0.049

- (2) चूंकि ठानीमाल रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, अनुभाग-मऊगंज,  
जिला रीवा मध्यप्रदेश

क्र. 57-भू-अर्जन-कार्य-2019

मऊगंज, दिनांक 5 अगस्त 2019

**प्ररूप-घ  
(नियम 6 देखिए)**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1948 भू-अर्जन कार्य/2018/25-07-18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी-574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपायोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

**अनुसूची**

जिला तहसील	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपायोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1. रीवा	रायपुर कर्चुलियान	सिरसा-593 हटवा	211/1	0.018
2.			214	0.020
3.			215/1	0.008
4.			215/3	0.008
5.			216	0.002
6.			217	0.012
7.			218	0.020
8.			222/1	0.016
9.			219/1/2	0.014
10.			219/1/1	0.014
11.			225	0.030
12.			226	0.038
13.			224/2	0.014
14.			369	0.012
15.			368	0.009
16.			367/1	0.005
17.			367/2	0.005
18.			240/1	0.018
19.			240/2	0.018
20.			363	0.014
21.			262/1	0.007
22.			262/2	0.007
23.			361	0.016

24.			250/2	0.013
25.			353/1	0.026
26.			352/1	0.017
27.			350	0.052
28.			351	0.045
29.			352/2	0.016
30.			444	0.047
31.			446	0.040
32.			659	0.012
33.			660	0.026
34.			713	0.012
35.			712/1	0.023
36.			712/2	0.023
37.			711	0.034
38.			710	0.034
39.			680	0.078
40.			698	0.009
41.			697/1	0.025
42.			697/2	0.025

अरविन्द कुमार झा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 13 अगस्त 2019

क्र. 4672-भू-अर्जन-2019.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1960-भू-अर्जन-2019, सिवनी, दिनांक 28 मार्च 2019 को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव निरस्त किया जाता है.

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-सांवेर, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. 2965-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्ररूप-"ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- 05-अ-82/2017-18** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	सिमरोड, प.ह.नं.- 12	501	0.004
			502	0.011
कुल योग			02	0.015

क्र. 2973-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्ररूप-"ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- 23-अ-82/2017-18** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
	2	3	4	5
	सांवेर	कदावली बुजुर्ग, प.ह.नं.- 61	358	0.015
			372	0.017
			373/2	0.012
			458/2/1	0.012
			461/1	0.013
			462/1	0.006
			476/1/2	0.059
			476/2/8/2	0.009
		कुल योग	08	0.143

क्र. 2981-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्ररूप-“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

कमांक- 15-अ-82/2017-18 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अभिवागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	मच्छुखेड़ी, प.ह.नं.- 46	169/1/1	0.013
कुल योग			01	0.013

क्र. 2989-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्ररूप-“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**कमांक- 25-अ-82/2017-18** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना** की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु **ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर** से **ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं**



अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	पीरकराडिया, प.ह.नं.- 53	112/2	0.003
			227/2	0.014
कुल योग			02	0.017

क्र. 2997-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्ररूप-“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 07-अ-82/2017-18 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	डकाच्या, प.ह.नं.- 54	450/2	0.024
			442/2/2	0.009
			443	0.009
			447	0.008
कुल योग			04	0.050

क्र. 3005-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्ररूप-“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- 08-अ-82/2017-18** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम, प्राधिकारी एवं अनुभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	सिलोटिया, प.ह.नं.- 62	31/2/2	0.017
कुल योग			01	0.017

क्र. 3013-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्ररूप-“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- 24-अ-82/2017-18** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बुढी बरलाई, प.ह.नं.- 52	87/2/2	0.010
			87/2/3	0.001
			165/1	0.013
			167	0.026
कुल योग			04	0.050

क्र. 3021-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्ररूप-"ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

कमांक- 26-अ-82/2017-18 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	ग्राम- पुवार्ड दाई, प.ह.नं.- 48	624/1/2	0.019
			644/1	0.009
कुल योग			02	0.028

क्र. 3029-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्ररूप-“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 13-अ-82/2017-18 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	मकोड़िया, प.ह.नं.- 46	440/1	0.004
			440/2	0.020

1	2	3	4	5
			518	0.017
			534/2	0.002
			535/2/1	0.002
<b>कुल योग</b>			<b>05</b>	<b>0.045</b>

क्र. 3037-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्ररूप-"ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- 18-अ-82/2017-18** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	कदावली खुर्द, प.ह.नं.- 64	315	0.043
<b>कुल योग</b>			<b>01</b>	<b>0.043</b>

प्ररूप-“घ”  
[नियम-6 देखिये]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-246/भू-अर्जन/2018-19, सांवेर, दिनांक 22-01-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।



अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला-इ	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	ग्राम- कदावली बुजुर्ग, प.ह.नं.- 61	291/3	0.004
			320/1/1	0.034
			320/1/2/1	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	ग्राम- कदावली बुजुर्ग, प.ह.नं.- 61	326/1/3	0.005
			326/2/1	0.026
			326/2/2	0.023
			362	0.004
			363/1	--
			381/1	0.008
			327/1	0.009
			327/5	0.005
			353/1/5	0.008
			327/2	0.005
			327/3	0.005
			327/4	0.007
			327/6	0.007
			327/9	0.004
			353/1/6	0.008
			327/7	0.006
			327/8	0.005
			328/1/1	0.009
			328/1/2	0.009
			328/2/1	0.013
			336	0.029
			345/2	0.014
			350/2	0.014
			357	0.013
			359	0.010
			360	0.007
			363/3	0.005
			380/1	--
			381/3	--
			380/2	0.007
378/4	0.004			
379/1	0.003			
379/2	0.004			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	ग्राम- कदावली बुजुर्ग, प.ह.नं.- 61	476/2/8/1	0.007
			483/1	0.017
			643/1/1	0.021
			643/1/2	0.021
			661/2	0.020
			675/1	0.035
			646/1	0.032
			646/2/1	0.019
			661/1	0.023
			675/2	0.035
			662/1	0.033
			709/1/1	0.017
			709/2/1	0.006
			718/1/1/2	0.009
			709/1/2	0.012
			709/2/2	0.013
			718/1/1/3	0.016
			718/1/1/1	0.014
			709/1/4	0.010
			709/2/4	0.013
			718/1/1/4	0.014
718/2/1	0.009			
718/2/2	0.021			
718/2/3	0.037			
725/2	0.011			
<b>कुल योग</b>			<b>58</b>	<b>0.783</b>



राजस्व प्रकरण क्रमांक-05-अ-82-2017-18

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

क्र. 2970-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-"घ"

[नियम-6 देखिये]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-3564/भू-अर्जन/2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु



भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	सिमरोड, प.ह.नं.- 12	258	0.022
			260	0.022
			263	0.067
			268	0.011
			269	0.005
इन्दौर	सांवेर	सिमरोड, प.ह.नं.- 12	257/2	--
			270	0.020
			271/1	0.017
			272/1	--
			271/2	0.028
			272/2	--
			279/1	0.032
			279/2	--
			276/1	0.004
			276/2	
			277	0.024
			278	0.002
			280/3	0.004
280/4	0.023			
282/2	0.010			
282/3	0.005			

		282/4	0.019
		285	0.020
		288/3	0.031
		460	0.002
		461/1	0.010
		461/2	0.010
		497	0.016
		499	0.015
		500	0.004
		508	0.011
		512	0.002
		513	0.028
		514/1	0.017
		515	0.026
		516/1	0.017
		516/2/2	0.019
		<b>कुल योग</b>	<b>32</b>
			<b>0.543</b>

राजस्व प्रकरण क्रमांक-15-अ-82-2017-18

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

क्र. 2986-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-"घ"

[नियम-6 देखिये]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-3595/भू-अर्जन/2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

अधिकारी

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	मच्छुखेड़ी, प.ह.नं.- 46	138/1/1	0.007
			138/1/2	0.018
			147/1	0.008
इन्दौर	सांवेर	मच्छुखेड़ी, प.ह.नं.- 46	223/2	--
			138/265/1	0.004
			138/265/2	0.011
			138/265/3	0.020
			138/265/4	0.013
			146/1	0.012
			146/2/1/1	0.022
			146/2/1/2	0.003
			147/2	0.017
			152/2	0.004
			166/1/1/2/min-2	0.032
			166/1/2	0.020
			166/2/4	0.002
			166/2/2	0.023
			166/2/2/1/min-4	0.010
			166/2/5	0.016
			168/2	0.039
			173/3/2/2	0.020
			245/1/2	0.004
			245/2/1	0.013
245/2/2	0.061			
245/2/3	0.006			
248/2	0.019			
कुल योग			25	0.404

राजस्व प्रकरण क्रमांक-25-अ-82-2017-18

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

क्र. 2994-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-“घ”  
[नियम-6 देखिये]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-253/भू-अर्जन/2018-19, सांवेर, दिनांक 22-01-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	पीरकराडिया, प.ह.नं.- 53	103/2/3	0.006
			106/2	0.007
			262/3/2	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	पीरकराडिया, प.ह.नं.- 53	107	0.017
			108	0.009
			112/1	0.012
			119	0.024
			145/2	0.032
			146	0.010
			149/1	0.012
			149/2	0.013
			149/3	0.013
			151	0.023
			261	0.015
			271	0.002
			152	0.021
			210	0.030
			227/1/2	0.014
			228	0.011
			229/2	0.012
			257	0.016
			257/617	0.014
			265/1	0.013
			265/2	0.018
			265/3	0.006
			267/1	0.005
268	0.011			
269	0.011			
270	0.011			
<b>कुल योग</b>			<b>29</b>	<b>0.396</b>



राजस्व प्रकरण क्रमांक-07-अ-82-2017-18

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

क्र. 3002-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-"घ"

[नियम-6 देखिये]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-3554/भू-अर्जन/2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा, राज्य सरकार ने

ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	डकाच्या, प.ह.नं.- 54	431/1 450/1 450/3 450/4 450/5	0.017 -- -- 0.002 0.002
इन्दौर	सांवेर	डकाच्या, प.ह.नं.- 54	450/6 450/7 457 500/1 500/2 501/7 502/1 502/2 507/1 507/2 507/3 507/4 508 708	0.004 0.005 0.021 0.015 0.013 0.026 0.007 0.010 0.002 0.003 0.002 0.008 0.035 0.006
कुल योग			16	0.178

राजस्व प्रकरण क्रमांक-08-अ-82-2017-18

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

क्र. 3010-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-“घ”

[नियम-6 देखिये]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-3584/भू-अर्जन/2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के एक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	सिलोटिया, प.ह.नं.- 62	24	0.023
			30	0.002
			34	0.011
इन्दौर	सांवेर	सिलोटिया, प.ह.नं.- 62	35	0.011
			36	0.010
			37/1	0.016
			37/2	0.014
कुल योग			07	0.087

राजस्व प्रकरण क्रमांक-24-अ-82-2017-18

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

क्र. 3018-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-“घ”  
[नियम-6 देखिये]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-264/भू-अर्जन/2018-19, सांवेर, दिनांक 22-01-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बुढी बरलाई, प.ह.नं.- 52	72/3/2/1	0.006
			72/3/2/2	0.006
			72/3/2/3	0.006



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	साँवेर	बुढी बरलाई, प.ह.नं.- 52	73/1	0.008
			78/2/1	0.020
			73/2	0.010
			78/1/1	0.030
			79/1/3	0.022
			87/1	0.022
			79/1/4	0.026
			87/3	0.014
			88/2	0.007
			89/2/1	0.013
			89/1/1	0.034
			89/1/2	0.017
			89/2/2	0.009
			89/3/1	0.013
			89/3/2	0.014
			111/2	0.035
			141/1	0.008
			144/2	0.026
			145/1/1	0.019
			144/3	0.003
145/1/3/1	0.030			
156/1/1/1	0.021			
165/2	0.018			
175/4/2	0.005			



1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बुढी बरलाई, प.ह.नं.- 52	174/2	0.064
			177/3/1	0.011
			177/3/2	0.004
			191/5	0.005
कुल योग			31	0.526

भागिक अधिकारी

राजस्व प्रकरण क्रमांक-26-अ-82-2017-18

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

क्र. 3026-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-"घ"

[नियम-6 देखिये]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-269/भू-अर्जन/2018-19, सांवेर, दिनांक 22-01-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के

हिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	ग्राम- पुवार्ड दाई, प.ह.नं.- 48	329/1/1	0.004
			331/1/1	0.014
			329/2/1/1	0.005
इन्दौर	सांवेर	ग्राम- पुवार्ड दाई, प.ह.नं.- 48	329/2/2/1	0.005
			339/2/1	0.014
			330/3/1	0.002
			330/3/2/1	0.005
			340/1	0.004
			344/1	0.007
			354/712/2/3	0.020
			449/26/2	0.010
			345/1/1	0.006
			345/2/1	0.006
			345/3/1	0.005
			350/1	0.017
			353/2	0.008
			354	0.033
			355	--
			442/1/2/मीन 2	0.004
			442/3	0.027
			442/4/2	0.022
			442/8	0.008
			449/23	0.017
			449/28	0.004
			449/35	0.010
			462/697/1/1	0.034
			464/1/1	0.004
			464/3/3	0.010
			464/1/2	0.004
464/3/4	0.013			
464/3/1/1	0.001			
467	0.019			
510	0.040			
511/2	0.033			
512/1/1/1	0.008			

			512/1/1/2	0.009
			512/2	0.007
			643/1	0.040
			512/3/1	0.010
			512/3/2	0.006
इन्दौर	सांवेर	ग्राम- पुवार्ड दाई, प.ह.नं.- 48	512/4/1	0.010
			512/4/2	0.010
			644/3	0.023
कुल योग			42	0.538

राजस्व प्रकरण क्रमांक-13-अ-82-2017-18

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

क्र. 3034-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-"घ"  
[नियम-6 देखिए]


अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-3543/भू-अर्जन/2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सावेर	मकोड़िया, प.ह.नं.- 46	316/1/1	0.005
			316/1/2	0.026
			318/1/2	0.007
इन्दौर	सावेर	मकोड़िया, प.ह.नं.- 46	318/2	0.066
			318/3	0.041
			440/3	0.012
			440/5	0.002
			442	0.025
			444/1/2	0.021
			444/1/3	0.023
			445	0.022
			444/2	0.003
			453/2/1/1	0.031
			453/2/1/2	0.029
			453/2/1/3	0.017
			458/1/4	0.005
			458/2	0.050
			510	0.005
			513/2/3	0.016
			513/1/2/2	0.067
			513/2/2	0.014
			527	0.023
529	0.026			
कुल योग			23	0.536



क्र. 3042-भू-अर्जन-2019

राजस्व प्रकरण क्रमांक-18-अ-82-2017-18

सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019

प्ररूप-“घ”  
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3548/भू-अर्जन/2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।


और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	कदावली खुर्द, प.ह.नं.- 64	306	0.017
			308	0.018
			309/1/1	0.019
			309/1/3/1/0001	0.009
			309/1/3/1/0002	0.007

1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	कदावली खुर्द, प.ह.नं.- 64	309/1/3/2/0001	0.007
			309/1/3/2/0002	0.006
			309/2/2/1	0.027
			309/3/1	0.006
			309/3/2	0.038
			309/4/1	0.007
			309/4/2/2	0.016
			311/2/1	0.026
			311/2/2/2	0.022
			311/2/2/3	0.021
			311/2/3	0.030
			314/2	0.024
			321/1	0.045
			कुल योग	



रवीश श्रीवास्तव, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सांवेर, जिला इंदौर.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2019

क्र. B-3969.—श्री अजय पवार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को रजिस्ट्रार (एम) के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 37400—67000+ग्रेड पे 8700 (7वें वेतनमान में लेवल 15 पे मेट्रीक्स 123100—215900) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

क्र. B-3971.—मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.) को ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.) के रिक्त पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600—39100+ग्रेड पे रु. 7600/- (7वें वेतनमान में लेवल 14 पे मेट्रीक्स 79900—211700) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

क्र. (1)	नाम (2)	स्थान (3)
1	श्री किशोर कुमार पिठवे	मुख्यपीठ जबलपुर
2	श्री आर. के. शर्मा	खण्डपीठ इन्दौर
3	श्रीमती रिया त्रिपाठी	खण्डपीठ ग्वालियर
4	श्री मुकेश द्विवेदी	मुख्यपीठ जबलपुर

क्र. B-3973.—मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.) को डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.) के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600—39100+ग्रेड पे रु. 6600/- (7 वें वेतनमान में लेवल 13 पे मेट्रीक्स 67300—206900) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

क्र. (1)	नाम (2)	स्थान (3)	रिमार्क (4)
1	श्री महेश कुमार चौरसिया	मुख्यपीठ जबलपुर.	—
2	श्री डी. आर. एस. सिंगरौल	मुख्यपीठ जबलपुर.	—
3	श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव	मुख्यपीठ जबलपुर.	—

(1) (2) (3) (4)

4 श्री डी. के. मिश्रा

खण्डपीठ

—

ग्वालियर

5 श्री प्रशांत पी. गाढे

खण्डपीठ डिप्टी रजिस्ट्रार

ग्वालियर (एम.) के पद पर पदोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री महफूज अहमद सेकेट्री टू द जजेस खंडपीठ ग्वालियर द्वारा दायर रिट याचिका क्र. 28381/2018 के निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

क्र. B-3975.—श्री कुलदीप सिंह कुशवाहा, सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (इन्फार्मेशन एण्ड टेक्नोलॉजी) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को चीफ सिस्टम एनालिस्ट के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 37400—67000+ग्रेड पे 10000 (7वें वेतनमान में लेवल 17 पे मेट्रीक्स 141800—214700) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

क्र. B-3977.—मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित जूनियर सिस्टम एनालिस्ट (आई.टी.) (नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी) को सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600—39100+ग्रेड पे रु. 6600/- (7वें वेतनमान में लेवल 13 पे मेट्रीक्स 67300—206900) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

क्र. (1)	नाम (2)	स्थान (3)
1	श्री सत्येन्द्र शर्मा	खण्डपीठ ग्वालियर
2	श्री गौरव कुमार सिंह	मुख्यपीठ जबलपुर

क्र. B-3979.—श्री अनिल कुमार देशमुख, लाइब्रेरियन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को चीफ लाइब्रेरियन के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600—39100+ग्रेड पे रु. 6600/- (7वें वेतनमान में लेवल 13 पे मेट्रीक्स 67300—206900) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.